।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

क्रमांकः ब.शा./जयपुर/86/07/39475-570 दिनांकः– 29/X/09

:: परिपत्र ::

राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट 25 सैक्शन XIII के नियम 301 में गंभीर रूप से बीमार बंदियों के परिजनों को बंदी के गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना देने का प्रावधान है, लेकिन यह देखा गया है कि उक्त नियम की पालना प्रभारी जेल द्वारा गंभीरतापूर्वक नहीं की जा रही है।

अतः समस्त कारागृह प्रभारियों को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे कारागार नियमों के अनुसार गंभीर रूप से बीमार बंदी के परिजनों को बंदी के गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना प्रेषित करें एवं जब बंदी के परिजन बंदी से मिलने आवे तब उन्हें बंदी से मुलाकात की आवश्यक सुविधा नियमानुसार प्रदत्त करावें।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. श्रीमान् अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, क्र.सं. 2 (उत्तर) उदयपुर को उनके पत्रांक 199/स्था./09 दिनांक 18.9.09 के संदर्भ में।
2. अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।
3. परिपत्र/रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर